

-: आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। इन इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती हैं। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
सुहालन	313	पीक पुत्री शौकत खं ई० १/२६० जाही कामेश्वारी सा. डेट खातेदार	724	०.21	ग्रासमीन बानो पुत्री शौकत भलीका ई० १/२६० जाही कामेश्वारी सा. डेट खातेदार	724	०.21

कमरा :-

प्रतिनिधि पालक :-

उप तहसीलदार, मौलासर


 शिविर प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डोडवाना)
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डोडवाना)
 दिनांक :- PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डोडवाना)
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डोडवाना)
 दिनांक :- PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

कमरा :-

प्रतिनिधि पालक :-

सुहालन

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय सुचारु

उप तहसीलदार, मौलासर